न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 158/2025

महावीर प्रसाद रेगर पुत्र राजेंद्र कुमार रेगर जाति रेगर उम्र बालिग निवासी गांधीनगर, सराना रोड़, मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । प्रार्थी

बनाम

1. भू–धारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. उमराव पुत्र छोटू
3. जगदीश पुत्र लादू
4. बंशी पुत्र लादू
5. राजू पुत्र लादू सर्व जाति भांभी निवासी ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
6. गीता देवी पत्नि हनुमान दायमा जाति खटीक निवासी खटीकों की धर्मशाला के पास दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
7. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 26/7/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री जितेन्द्र शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 655/156 रकबा 0.9647 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी / खातेदारान के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई करने हेतु मजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 655/156 में आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, अन्य कोई रास्ता नहीं हैं केवल मात्र खसरा नम्बर 692/152 रकबा 2.6020 हैक्टेयर राजकीय भूमि है एव उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 654/156 रकबा 0.1903 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 व 2 एवं खसरा नम्बर 692/152 अप्रार्थी संख्या 1 भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी के समीप ही अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 654/156 जिसे प्रार्थी भी सहखातेदार है व उसके पश्चात् राजकीय भूमि खसरा नम्बर 692/152 अवस्थित है राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता/रोड खसरा नम्बर 691/152 है। प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से ही कदमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 692/152 व 654/156 की भूमि से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल रंग से दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थी सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2013 को क्रमांक प. 3(52) राज–6/12/4 को जारी किया गया है जिसमें निर्धारित किया गया है कि राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है कि "यदि कोई खातेदार को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

अपनी जोत तक पहुँचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पहुँच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिये . रास्ता चाहा जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन का आभाव है उक्त स्थिती में. राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जावें। यह नियम मार्ग लघुतम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नहीं होगा रास्ते के प्रद्वत्त कि गयी भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित कि जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। इस प्रकार प्रार्थी के पास में अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 692/152 व 654/156 राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थी कदमी रूप से आते–जाते रहे है अन्य कोई सुलभरास्ता नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि से प्राप्त रास्ता करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य खातेदारान को पक्षकार संयोजित करने का विधिक प्रावधान नहीं है एवं न ही चतुर्थ सीमा अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है चुंकि राजस्व नक्शे से स्पष्ट स्थिती अवगत होती है एवं माननीय न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट भी तलब करवायी जाती है जिससे सुस्पष्ट स्थिती अवगत हो जाती है एवं किसी भी अन्य पडौसी खातेदारान से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा रहा है। भू–धारी होने से अप्रार्थी राजकीय भूमि का स्वत्व प्राप्त है इस कारण अप्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना. विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251(ए) के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 02.07.2025 को. जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 655/156 में फसल बिजाई हेतु कदमी रास्ते सरकारी भूमि खसरा नम्बर 692/152 में से होते हुये खसरा नम्बर 654/156 में से होते हुये अपने खेत मे ट्रेक्टर लेकर जा रहे है तब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा प्रार्थी को आने जानें से टोका व कहा की तुम सरकारी रास्ते से आते–जाते होतो तुम्हारी शिकायत की जायेगी एवं तुम्हे हमारी शामलाती / सहखातेदारी आराजी में से भी आने–जाने नहीं दिया जायेगा। तब प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक प्रावधानो के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 07 के भूमि रहन दर्ज होंने से पक्षकार कायम किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 655/156 रकबा 0.9647 हैक्टेयर भूमि में में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 692/152 राजकीय भूमि व खसरा नम्बर 654/156 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की भूमि मे से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी को अर्थात राजकीय कोष में जमा/अदा कराने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन करवाई गई। दिनांक 23.07.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मोका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बडगांव स्थित खसरा संख्या 655/156 रकबा 0.9647 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 692/152 रकबा 2.6020 हैक्टेयर से दिया जा सकता है, जिसमें से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0480 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी

अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 16,85,700/– के अनुसार 1,61,827/– एक लाख इकसठ हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये होगी।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 655/156 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 692/152 से से आवागमन करता है। खसरा संख्या 692/152 में से रकबा 0.0480 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 655/156 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 692/152 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0480 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 692/152 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0480 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 1,61,827/– एक लाख इकसठ हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 1,61,827/– एक लाख इकसठ हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0480 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ